

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4

लखनऊ, दिनांक, 21 अगस्त, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "पौधशाला प्रबंधन योजना" आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 190.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-198/36-पी-49 (2017-18) दिनांक 16 अगस्त 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'पौधशाला प्रबंधन योजना' योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 815.00 लाख (रू0 आठ करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-820/14-4-17-42(बजट)/2017 दिनांक 09.06.2017 द्वारा लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पाँच माह के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 625.00 लाख घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0 190.00 लाख (रूपये एक सौ नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या 60-	
पूँजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय -	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
05-"पौधशाला प्रबंधन योजना" (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	18147000
42-अन्य व्यय	853000
योग	19000000

(रू0 एक करोड़ नब्बे लाख मात्र)

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-सी०ए० 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं०-सी०ए० 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि नई पौधशालाएं स्थापित नहीं हो रही हैं, पहले से स्थापित पौधशालाओं के लिए उपलब्ध धनराशि तथा इस परियोजना से उपलब्ध धनराशि का लेखा-जोखा अलग-अलग रखा जायेगा ताकि एक ही मद पर दोहरी धनराशि उपलब्ध न हो और प्रश्नगत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात व्यय की जायेगी।
- 3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
- 4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 6- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।
- 7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी द्वारा विगत में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए शासन को पूर्ण विवरण एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 8- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.08.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- 9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

- 10- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।
 - 11- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - 12- उक्त के अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं अन्य समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों में निहित प्रावधानों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या-1588(1)/चौदह-4-2016-42 (बजट)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार द्वितीय केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)

उप सचिव।